

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5740 /

जबलपुर, दिनांक 17/09/2021

दो-13-81/21

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/4, दिनांक 31.01.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्री विवेक तिवारी, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की मृत्यु दिनांक 14/05/2021 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 36 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त धनराशि का भुगतान श्रीमती नेहा तिवारी पति स्व. श्री विवेक तिवारी, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

५


पृष्ठांकन क्रमांक B/574 /

जबलपुर, दिनांक 17/09/2021

दो-13-81/21

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल एनालिस्ट (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
6. श्रीमती नेहा तिवारी पति स्व. श्री विवेक तिवारी, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर पता- 903/1 कालीमठ मंदिर के पीछे आमनपुर, जबलपुर मो. नं. 9993449875 की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन प्रशासन)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)